

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 42/2020-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 5 मई, 2020

सा.का.नि.....(अ) आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उपनियम (5) के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 44/2019-केंद्रीय कर, तारीख 09 अक्टूबर, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 767(अ), तारीख 09 अक्टूबर, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:--

उक्त अधिसूचना के, पहले पैरा में, छठा परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:--

“परंतु यह भी कि ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की दशा में, जिनका मूल कारोबार स्थान जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में है, नवंबर, 2019 से फरवरी, 2020 तक प्रत्येक मास के लिए, उक्त नियमों के **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी इलैक्ट्रानिकी रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से 24 मार्च, 2020 को या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी:

परंतु यह भी कि ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की दशा में, जिनका मूल कारोबार स्थान लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में है, नवंबर, 2019 से दिसंबर, 2019 तक प्रत्येक मास के लिए, उक्त नियमों के **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी इलैक्ट्रानिकी रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से 24मार्च, 2020 को या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी:

परंतु यह भी कि ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की दशा में, जिनका मूल कारोबार स्थान लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में है, जनवरी, 2020 से मार्च, 2020 तक प्रत्येक मास के लिए, उक्त नियमों के **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी इलैक्ट्रानिकी रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से 20 मई, 2020 को या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी।”।

2. यह अधिसूचना 24 मार्च, 2020 से प्रभावी हुई समझी जाएगी।

(फा. सं. सीबीईसी-20/06/04/2020-जीएसटी)

(प्रमोद कुमार)  
निदेशक, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 44/2019-केंद्रीय कर, तारीख 09 अक्टूबर, 2019, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 767(अ), तारीख 09 अक्टूबर, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चातवर्ती अधिसूचना सं. 25/2020-केंद्रीय कर, तारीख 23 मार्च, 2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 208(अ), तारीख 23 मार्च, 2020 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना द्वारा अंतिम संशोधित की गई थी ।